

NAME	PLACE	DATE
Business Remedies	Jaipur	31.08.2022
Nafa Nuksan	Jaipur	31.08.2022



## बीएसएल लिमिटेड

सीआईएन : L24302RJ1970PLC002266

पंजीकृत कार्यालय: 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधीनगर, भीलवाड़ा - 311001, (राजस्थान)

फोन: +91-1482-249101-102, 245000

ईमेल: [accounts@bslsuitings.com](mailto:accounts@bslsuitings.com); वेबसाइट: [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com)

### 51वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

17 अगस्त, 2022 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि **बीएसएल लिमिटेड** ("कम्पनी") की **51वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 4:00 बजे अपराह्न** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधी नगर, भीलवाड़ा-311 001 (राजस्थान) माना जाएगा।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिकोण से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 (के साथ पठित परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020) एवं परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी इसके विविध परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (के साथ पठित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के हवाले से कैलेंडर वर्ष 2022 में कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 51वीं एजीएम आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 51वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 29 अगस्त, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई है। सदस्यों को 51वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

51वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com) पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

**रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिंक्रोनेटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) - अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमेंटेरियालाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेर्यरक्षित रखने वाले शेर्यरधारक तथा ऐसे शेर्यरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेर्य अंतरण पुस्तक **बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 से बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक वार्षिक समापन तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुशंसित लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए शेर्यरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

**21 सितम्बर, 2022 की कट-ऑफ तिथि** के अनुसार, भौतिक रूप में या डिमेंटेरियालाइज्ड रूप में शेर्यरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या **कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2022** के अनुसार डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को 9:00 बजे पूर्वार्ह आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात् रिमोट वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों के नाम बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 अर्थात् पुस्तक बंदी के आरम्भ होने के पूर्व की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थियों की सूची में प्रदर्शित हो, को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के समता शेर्य पर रुपये 1.20 (12%) प्रति समता शेर्य के लाभांश, जैसा की मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि 51वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान, एजीएम की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को कम्पनी की प्रदत्त समता शेर्य पूंजी में उनकी भागेदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2022 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डिमेंट अकाउंट संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 33वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करें:

**भौतिक शेर्य धारिता के मामले में** कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **एमसीएस शेर्य ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: बीएसएल लिमिटेड)**, एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली -110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

**क)** फोलियो नंबर, **ख)** शेर्यरधारक का नाम, **ग)** ईमेल पता, **घ)** पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **ङ)** आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **च)** शेर्य प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे)

**बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:**

**क)** बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, **ख)** बैंक खाता प्रकार, **ग)** बैंक खाता संख्या, **घ)** MICR कोड संख्या, **ङ)** आईएफएससी कोड, एवं **च)** प्रथम शेर्यरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति

**डीमेंट शेर्य धारिता के मामले में** कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमेंट खाता में पंजीकृत करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री मनोज महेश्वरी, संचायावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3355), की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है।

परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से दो दिन के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com) पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) में फाइलिंग कर की जाएगी।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम, 1961"), जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अधिदेशानुसार 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेर्यरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को लाभांश, यदि शेर्यरधारकों द्वारा एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान बनाते समय स्रोत पर कर कटौती करने (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेर्यरधारक की आवासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। कम्पनी को उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 सितम्बर, 2022 को या उससे पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें।

अतः शेर्यरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज/घोषणाएं कम्पनी को [bslagm@bslsuitings.com](mailto:bslagm@bslsuitings.com) पर/कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेर्य ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो।

आईटी अधिनियम, 1961 में इस परिवर्तन के साथ ही लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए शेर्यरधारकों द्वारा आवश्यक घोषणाएं/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रासंगिक प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करने हेतु 22 जुलाई, 2022 को सभी शेर्यरधारकों को कम्पनी द्वारा एक पृथक ईमेल संचार भेजा गया है एवं उक्त संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है: [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com).

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य ["http://www.evoting.nsdl.com"](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQs) एवं एजीएम में भाग लेने हेतु तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका" संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं अथवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) पर या टेलीफोन नंबर, 91 22 24994360 पर संपर्क करें।

मंडल के आदेशानुसार  
कृते बीएसएल लिमिटेड  
हस्ता/-  
(ऑवल पाटनी)  
कम्पनी सचिव  
एसीएस-43134

स्थान : भीलवाड़ा  
दिनांक : 29 अगस्त, 2022